रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062022-236474
CG-DL-E-10062022-236474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
No. 418]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISHTHA 20, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

सा.का.नि. 439(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन, नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में, नियम 6 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) कोई व्यक्ति जिसका नाम उपनियम (4) के अधीन डाटा बैंक से हटा दिया गया है, एक हजार रुपये की शुल्क का भुगतान करके अपने नाम के पुनःस्थापना के लिए आवेदन कर सकता है और संस्थान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऐसी पुनःस्थापना की अनुमति देगा, अर्थात् :-

(i) उसका नाम पुनःस्थापना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए एक अलग पुनःस्थापित श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत उसे ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और इसके पश्चात् उसका नाम डाटाबैंक में केवल तभी शामिल किया जाएगा जब वह उक्त ऑनलाइन प्रवीणता स्वमूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करता है और ऐसे मामले में, प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के समय उसके द्वारा भुगतान की गई फीस उस अवधि के लिए मान्य रहेगी जिसके लिए वह प्रारंभिक रूप में दी गई थी; और

(ii) यदि वह पुनःस्थापना की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसका नाम डाटाबैंक से हटा दिया जाएगा और डाटाबैंक में उसका नाम शामिल करने के लिए उन्हें उपनियम (1) के अधीन नए सिरे से आवेदन करना होगा।"।

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल-I-भाग-I]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.259(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 01 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2022

G.S.R. 439(E).—In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Second Amendment, Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(5) Any individual whose name has been removed from the databank under sub-rule (4), may apply for restoration of his name on payment of fees of one thousand rupees and the institute shall allow such restoration subject to the following conditions, namely :-

(i) his name shall be shown in a separate restored category for a period of one year from the date of restoration within which, he shall be required to pass the online proficiency self-assessment test and thereafter his name shall be included in the databank, only, if he passes the said online proficiency self-assessment test and in such case, the fees paid by him at the time of initial registration shall continue to be valid for the period for which the same was initially paid; and

(ii) in case he fails to pass the online proficiency self-assessment test within one year from the date of restoration, his name shall be removed from the data bank and he shall be required to apply afresh under sub-rule (1) for inclusion of his name in the databank.".

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended vide notification number G.S.R. 410 (E), dated the 1st June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.10 22:23:56 +05'30'